57

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3794—एक/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 28—09—2016 के द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील बडौदा जिला श्योपुर के प्रकरण कमांक 73/बी—121/2015—16.

.....

1—बरफीबाई पुत्री रतनलाल मीणा
2—पप्पू पुत्र मथुरालाल मीणा
निवासीगण ग्राम हलगांवडा खुर्द
तहसील बडौदा जिला श्योपुर म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—म0 प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
तहसीलदार बडौदा जिला श्योपुर

———अनावेदक

.....

श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, आवेदक
श्री आर0 पी0 पालीवाल, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 26-12-17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार तहसील बडौदा जिला श्योपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28—09—2016 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2— प्रकरण का संक्षेप में विवरण. इस प्रकार है कि आवेदकगण की ग्राम हलगांवडाखुर्द में भूमि सर्वे कमांक 148/3 मि0 1 रकवा 1.996 है0 सर्वे कमांक 148/3मि2. रकबा 1.568 है0 कमंश आवेदकगणों के नाम भूस्वामित्व के रूप में राजस्व खसरा पंचशाला में विधिवत दर्ज है जिस पर आवेदकगण वर्षो से काबिज होकर मौके पर खेती करते आ रहे हैं और आज भी मौके पर

आवेदकगणों का ही कब्जा है। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने अपने प्रकरण कमांक 2/2015–16/170ख से दिनांक 30.3.16 को आदेश पारित कर उक्त भूमि को राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में आवेदकगणों का नाम हटाकर हटटू पुत्र परमा के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये थे। उक्त आदेश के विरूद्व आवेदकगणों को जानकारी होने पर इस न्यायालय में निगरानी प्रकरण कमांक 1493–एक/2016 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 9.6.16 से अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 30.3.16 निरस्त कर भूमि पूर्ववत आवेदकगणों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बडौदा को दिये गये थे, जिसके पालन में न्यायालय तहसीलदार बडौदा ने प्रकरण कमांक 73/बी–121/2015–16 कायम कर आदेश दिनांक 14.7.16 से आवेदकगणों का नाम राजस्व अभिलेख खसरा पंचशाला में पूर्ववत दर्ज करने के आदेश मोजा पटवारी को दिये गये थे। इस प्रकार प्रकरण कमांक 73/2015–6/बी–121 बाद कार्यवाही दिनांक 14.7.16 को समाप्त किया जाकर दाखिल रिकार्ड कर दिया गया था। तहसीलदार द्वारा अनुविभागीय अधिकारी से पुर्नाविलोकन की अनुमति चाही गई जो उनके द्वारा दिनांक 28.9.16 को प्रदाय की गई। तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को सुनवाई करने के उपरांत दिनांक 5.10.16 को प्रकरण कमांक 89/01–02/अ–19 आदेश दिनांक 30.9.2002 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण में दिनांक 5.11.16 पेशी नियत की गई। आवेदक द्वारा दिनांक 28.9.16 से परिवेदित होकर इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदकगण के अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ ने आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व नियम प्रकिया एवं विधि का पालन नहीं किया। यह भी नहीं देखा कि जब वरिष्ठ न्यायालय अर्थात रिव्यु की अनुमति देने वाले अधिकारी ने इस शर्त के साथ रिव्यू की अनुमति प्रदान की थी कि दोनों पक्षों को सुनकर कार्यवाही करें, फिर भी अधीनस्थ ने आलोच्य आदेश से पूर्व आवेदकगणों को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया ना ही कोई सूचना जारी किये। इसलिये दिनांक 28.9.16 निरस्त किये जाने योग्य है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ ने आलोच्य आदेश से पूर्व वरिष्ठ के आदेश अर्थात रिव्यू की अनुमति देने वाले के आदेश का भी अवलोकन नहीं किया। जब वरिष्ठ ने अपने अनुमति आदेश दिनांक 28.9.16 में

स्पष्ट रूप से यह लिखा कि ऐसी स्थिति निर्मित न हो कि कंटेम्प की स्थिति न बने। फिर भी आदेश दिनांक 9.6.16 से अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बडौदा को आवेदकगणों का नाम पूर्ववत खसरे में दर्ज करने के आदेश दे दिये है। इसलिये आलोच्य आदेश वरिष्ठों के आदेश के विपरीत होने से कतई स्थिर रखने योग्य नहीं है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि आदेश दिनांक 28.9.16 निरस्त कर आवेदकगण की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4–अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रिव्यु की अनुमति दी गई है और तहसीलदार द्वारा उभयपक्षों को सूचना देकर पूर्व आदेश की छाया प्रति प्रदाय करने हेतु पक्षकारों को कहा गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है। इसे स्थिर रखा जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार तहसील बड़ौदा द्वारा दिनांक 28.9.16 को अनुविभागीय अधिकारी से प्रकरण में पुर्नावलोकन की अनुमति चाही गई थी और उसी दिनांक 28.9.16 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नावलोकन की अनुमति प्रदान करने से पूर्व यह भी आदेश पत्रिका में लेख किया गया था कि "माननीय बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आदेश के पालन में आये नये तथ्यों को पत्र के माध्यम से माननीय बोर्ड को अवगत करायें। ऐसी स्थिति न निर्मित हो कि कन्टेम्प्ट की स्थिति बने "। तहसीलदार. बडौदा द्वारा पत्र कमांक रीडर/2016/823 दिनांक 29.9.16 को राजस्व मण्डल को पत्र जारी किया गया। लेकिन राजस्व मण्डल से क्या जबाव आया इस बात का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, और प्रकरण में दिनांक 5.10.2016 पेशी नियत कर दी गई। तहसीलदार को राजस्व मण्डल से मार्गदर्शन चाहा गया था, जबकि उन्हें शासन के अधिवक्ता से संपर्क कर मार्गदर्शन लेना चाहिये था। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्पष्ट आदेश पत्रिका में उल्लेख किया गया था कि कन्टेम्प्ट की स्थिति निर्मित न हो। तहसीलदार द्वारा दिनांक 28.9.16 को अनुविभागीय अधिकारी से पुर्नावलोकन की अनुमति चाही और उसी दिनांक को पुर्नावलोकन की अनुमति प्रदान की गई, और दिनांक 29.9.16 को ही राजस्व मण्डल को पत्र जारी कर बताया गया कि प्रकरण कमांक 89/अ–19/01–02 में

पारित आदेश दिनांक 30.09.02 का जिला अभिलेखागार में शोध करने पर प्रकरण नहीं पाया गया। तहसीलदार द्वारा आदेश का अमल करने हेतु राजस्व मण्डल से ही मार्गदर्शन चाहा गया? तहसीलदार द्वारा पत्र में यह भी नहीं लेख किया गया है कि अभिलेखागार में किस से शोध कराया गया और प्रकरण क्यों नहीं मिला, उनके विरूद्व क्या कार्यवाही की गई इसका कोई प्रमाण अभिलेख में नहीं है। यह प्रकिया दो दिन में ही अपनाई गई है। इससे स्पष्ट है कि तहसीलदार बड़ौदा का आदेश दिनांक 28.9.16 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील बडौदा जिला श्योपुर का आदेश दिनांक 28.9.16 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि दिनांक 28.9.16 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पुर्नावलोकन की अनुमति प्रदाय की गई है, उसका पालन करते हुये तथा उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये आदेश पारित करें।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर